



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक : लो०अ०वि०/कु.स.का./2021-686

दिनांक: 12 फरवरी, 2021

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/प्रभारी, आवासीय परिसर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या से सम्बद्ध महाविद्यालय।

विषय: उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/समस्त महाविद्यालय/समस्त शिक्षण संस्थान दिनांक 15.02.2021 से पूर्ण रूपेण संचालित/खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 501/सत्तर-3-2021-08(20)/2020, दिनांक 12 फरवरी, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों को दिनांक 15.02.2021 से पूर्ण रूपेण संचालित/खोले जाने का सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्णय लिया गया है।

अतः शासन के पत्र दिनांक 12 फरवरी, 2021 (प्रति संलग्न) के अनुपालन में विश्वविद्यालय/समस्त महाविद्यालय/समस्त शिक्षण संस्थानों को दिनांक 15.02.2021 से पूर्ण रूपेण संचालित/खोले जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,


(उमानाथ)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वित्त अधिकारी।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण।
3. कुलानुशासक।
4. परीक्षा नियंत्रक/उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव।
5. प्रोग्रामर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को महाविद्यालयों की कालेज-लागिन तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. मीडिया प्रभारी।
7. प्रशासनिक अधिकारी/प्रधान सहायक, समस्त अनुभाग।
8. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
9. पत्रावली।


(उमानाथ)
कुलसचिव

प्रेषक,

अब्दुल समद
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 12 फरवरी, 2021

विषय:-उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान दिनांक 15.02.2021 से पूर्ण रूपेण संचालित/खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत पोस्ट लॉकडाउन अवधि में, गृह (गोपन) अनुभाग-3 द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 01.10.2020 में दिए गए दिशा-निर्देशों के क्रम में समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में भौतिक रूप से पठन-पाठन दिनांक 23.11.2020 से आरम्भ किए जाने हेतु उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 17.11.2020 द्वारा कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमति प्रदान की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के उक्त आदेश दिनांक 17 नवम्बर, 2020 को शिथिल करते हुए विभाग के अन्तर्गत समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों को दिनांक 15.02.2021 से पूर्ण रूपेण संचालित/खोले जाने का सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश संख्या-40-3/2020DM-I(A), दिनांक 27.01.2021 तथा गृह गोपन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 29.01.2021 संलग्न कर अनुपालनार्थ प्रेषित करते हुए निम्नलिखित शर्तों के साथ **समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को दिनांक 15.02.2021 से पूर्ण रूपेण संचालित/खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-**

- (1) कोविड-19 से सम्बन्धित अपेक्षित आचरण/कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु तथा मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता व सामाजिक दूरी के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु उपाय किए जायेंगे।
- (2) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान खोले जाने से पूर्व उन्हें पूर्ण रूपेण सेनेटाईज किया जाए।
- (3) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में सेनेटाईजर, हैंडवाश, थर्मलस्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कार्मिक को खासी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाय।

- (4) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में कोई विद्यार्थी यदि कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी प्रोटोकाल का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
- (5) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ हैंडवाश/हैंड सेनेटाइज कराने के पश्चात ही छात्रों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। संस्थान में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
- (6) क्लास रूम में छात्रों को 06 फीट की दूरी पर बैठाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
- (7) संस्थान में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस हेतु पूर्व से ही अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखे जाये।
- (8) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थानों में सभी छात्रों और शिक्षकों को एक फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य होगा। विशेषतः कक्षा में, या समूहों में कोई गतिविधि करते समय, जैसे-प्रयोगशालाओं में काम करते समय या पुस्तकालयों में पढ़ते समय।
- (9) छात्रों और स्टाफ में कोविड के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल उसकी जाँच करायी जाय और परिणाम का अभिलेखीकरण सुनिश्चित किया जाय।
- (10) शिक्षकों/छात्रों/कर्मिकों के लिए रुमाल/टिशू पेपर या कोहनी में खांसने या छींकने तथा चेहरा, आँख, मुँह, नाक और कान को छूने से बचने हेतु जागरूक किया जाय।
- (11) सफाई स्टाफ/कर्मिकों के लिए आवश्यक उपकरण जैसे दस्ताने, फेस कवर/मास्क, हाथ धोने का साबुन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।
- (12) दूसरों के साथ भोजन और बर्तन साझा करने से बचने के लिए संस्थानों में सभी छात्र-छात्राओं/शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाय।
- (13) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में किसी भी बाहरी विक्रेता को परिसर के भीतर या प्रवेश द्वार/बिन्दु पर कोई भी खाने की चीज बेचने की अनुमति प्रदान न की जाय।
- (14) विभिन्न स्थानों पर शारीरिक/सामाजिक दूरी मानदंड और छात्रों के व्यवहार जैसे बार-बार अपने चेहरे को छूना या अन्य छात्रों के साथ हाथ मिलाना आदि की निगरानी के लिए रोटेशन के आधार पर शिक्षकों और छात्रों को उत्तरदायित्व दिया जाय।
- (15) संस्था में गतिविधि शुरू करने से पहले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पीएचडी कोर्स तथा स्नातकोत्तर अध्ययन जिसमें छात्रावास, प्रयोगशालायें तथा अन्य सामान्य उपयोगी क्षेत्रों को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से सेनिटाइज कराया जाय।
- (16) बायोमैट्रिक्स उपस्थिति के बजाय सम्पर्क रहित उपस्थिति के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की जाय।
- (17) परिसर में अन्दर-बाहर आने-जाने वालों के लिये कतार का प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाय जिसमें छः फीट की दूरी पर विशिष्ट चिन्ह बनाया जाय।
- (18) छात्रावास में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपायों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित निर्देशों को संज्ञानित किया जाय :-
 - छात्रावास के परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजेशन एवं सभी छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाय।
 - डायनिंग हॉल, सामान्य कमरे में छात्रों की दूरी सीमित रखी जाय।
 - रसोई, डायनिंग हॉल, बाथरूम एवं शौचालय आदि की स्वच्छता की निगरानी नियमित रूप से रखी जाय।

- डायनिंग हॉल में भीड़ से बचने के लिये छोटे-छोटे बैच में छात्रों को भोजन के लिये बुलाया जाय चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भोजन ताजा पका हुआ हो तथा एक वरिष्ठ कर्मचारी की निगरानी में भोजन बनाया जाना चाहिए तथा बर्तन साफ-सुथरे होने चाहिए।
- भोजन बनाए जाने से पूर्व कर्मचारियों द्वारा फेस कवर, मास्क तथा हाथों को सेनेटाइज किया जाना आवश्यक है।
- छात्रों एवं कर्मचारियों को बाजार में जाने से बचना चाहिए। जहां तक सम्भव हो आवश्यक वस्तुओं को परिसर के भीतर ही उपलब्ध कराया जाय।
- हॉस्टल के भोजन कक्ष में छात्रों की संख्या को निर्धारण कर सकते हैं। भीड़भाड़ से बचने के लिये मेस टाइमिंग बढ़ाई जाय।

3— विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को पूर्ण रूप से खोले जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था का सतत अनुश्रवण एवं कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा किसी वरिष्ठ एवं भिन्न अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा, जिसके द्वारा नियमित रूप से शासन को कृत कार्यवाही की प्रगति आख्या उपलब्ध करायी जाये।

4— कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

(अब्दुल समद)

विशेष सचिव। 2

संख्या—50। (1)/सत्तर-3-2021, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2— अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 3— अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— निजी सचिव, मा० उप मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 5— निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6— कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 7— समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- 8— गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(हरेन्द्र कुमार सिंह)

उप सचिव।

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रैंज
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 29 जनवरी, 2021

विषय:- गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-DM-I(A), दिनांक 27.01.2021 के दृष्टिगत कोविड-19 के सम्बन्ध में अपेक्षित सावधानियों, कन्टेनमेन्ट जोन एवं निगरानी (सर्विलांस) के विषय में दिशा-निर्देश।

महोदय,

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-DM-I(A), दिनांक 27.01.2021 द्वारा कोविड-19 से सम्बन्धित कन्टेनमेन्ट जोन की निगरानी व अपेक्षित सावधानियों के विषय में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

कोविड-19 के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने में राज्य को महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है, जिसके परिणामस्वरूप विगत चार माह में कोविड-19 के सक्रिय केस में निरंतर कमी आ रही है, तथापि कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने में प्रोप्त सफलता को नियमित रूप से बनाये रखने तथा इस महामारी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पाये जाने की आवश्यकता है। अतः इस विषय में पूर्ववत् पूर्ण सावधानी बरते जाने, कन्टेनमेन्ट कार्य योजना को और सख्ती से लागू किये जाने, कन्टेनमेन्ट जोन की निरन्तर निगरानी किए जाने तथा पूर्व में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का और सख्ती से अनुपालन किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस व नगरीय निकाय प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों का आकलन करते हुये कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कन्टेनमेन्ट मानदण्डों एवं कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन कराये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के क्रम में गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या-2358/2020-सी0एक्स0-3, दि0 30.11.2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों को यथा संशोधित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि-

1. कोविड-19 के सम्बन्ध में अपेक्षित आचरण (Appropriate behaviour)

- कोविड-19 से सम्बन्धित अपेक्षित आचरण/कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु तथा मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता व सामाजिक दूरी के मानकों का सख्ती से पालन हेतु आवश्यक उपाय किए जाए।
- मास्क पहनने की अनिवार्यता के दृष्टिगत सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के खिलाफ यथोचित कार्यवाही की जाए।
- भीड़-भाड़ वाले स्थलों, यथा मार्केट, साप्ताहिक बाजार, सार्वजनिक परिवहन आदि में सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्गत SOP का अनुपालन कराया जाए।
- इस विषय में National directives for COVID-19 Management संलग्नक-1 में उद्धृत है।

2. विभिन्न गतिविधियों हेतु निर्गत SOP का अनुपालन -

- विगत कुछ माह में कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर लगभग सभी प्रकार की आर्थिक एवं अन्य गतिविधियाँ चरणबद्ध रूप से प्रारम्भ कर दी गयी हैं तथा इनके संचालन हेतु कार्यात्मक मानक (SOP) तयकिये गये हैं।
- समय-समय पर विभिन्न गतिविधियों हेतु शासन स्तर से निर्गत SOP/मार्ग निर्देश को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यकतानुसार संशोधित एवं अद्यतन भी किया गया है। इन गतिविधियों में मुख्यतः यात्री ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, मेट्रो रेल, स्कूल, उच्च शैक्षणिक संस्थाएं, होटल एवं रेस्टोरेन्ट्स, शॉपिंग माल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क्स, योगा केन्द्र, व जिम तथा सभा एवं सभागम आदि हैं। सम्बन्धित अधिकारियों, जो इसके पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी हैं, के द्वारा इनका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

(iii) कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल तथा अपेक्षित सावधानियों बरतने के साथ-साथ कन्टेनमेंट जोन के बाहर इन आर्थिक एवं अन्य गतिविधियों को जनहित में जारी रखा जाना आवश्यक है। उक्त गतिविधियों की अनुमति इनसे सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्गत की जाने वाली अद्यतन SOP के अधीन होगी। यथा-

(क) सामाजिक/धार्मिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होना (Gathering) की व्यवस्था निम्नवत् होगी -

(a) किसी भी बन्द स्थान यथा हॉल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 200 व्यक्तियों तक ही फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सेनेटाइजर एवं हैंड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।

(b) खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही व्यक्तियों को अधिकतम अनुमत्य होगा एवं फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सेनेटाइजर एवं हैंडवॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।

(ख) सिनेमाहॉल व थियेटर के विषय में सूचना एवं प्रसारण विभाग द्वारा भारत सरकार गृह विभाग से समन्वय कर SOP जारी की जायेगी।

(ग) तरणताल, खेल आदि के विषय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार गृह विभाग से समन्वय कर SOP जारी की जायेगी।

(घ) B-2-B वाणिज्यिक गतिविधियों, प्रदर्शनी, नुमाइश आदि के विषय में वाणिज्य विभाग द्वारा भारत सरकार गृह विभाग से समन्वय कर SOP जारी की जायेगी।

3. सर्विलांस एवं कन्टेनमेंट -

(i) कोविड-19 के लिए संवेदनशील (Vulnerable) एवं उच्च सम्भावना वाले क्षेत्रों (High incidence areas) में कोविड वायरस की श्रृंखला को समाप्त करने एवं इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कन्टेनमेंट जोन का प्रभावी ढंग से चिन्हांकन किया जाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। शासन स्तर से इस विषय पर निर्गत शासनादेश संख्या-2360/2020-सीएक्स-3, दि० 26.11.2020 में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों का दृष्टिगत रखते हुये जिला प्रशासन द्वारा माइक्रो लेवल पर कन्टेनमेंट जोन का सावधानीपूर्वक निर्धारण किया जाय। इस विषय में स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मार्ग-निर्देशों का यथोचित सज्ज्ञान लिया जाए। कन्टेनमेंट जोन की सूची जिलाधिकारी द्वारा राज्य की वेबसाईट पर अंकित/प्रसारित भी की जाए तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भी उपलब्ध कराई जाए।

(ii) कन्टेनमेंट जोन के अन्दर कोविड-19 विषयक प्रोटोकॉल एवं प्रतिबन्धात्मक मानदण्डों (जैसा कि शासनादेश दिनांक 30.11.2020 के प्रस्तर-2 (ii) में वर्णित हैं) का सख्ती से अनुपालन किया जाए।

(iii) कन्टेनमेंट जोन के निर्धारित मानदण्डों का सख्ती से अनुपालन कराए जाने का उत्तरदायित्व जिला प्रशासन, पुलिस व स्थानीय निकाय के अधिकारियों का होगा।

4. स्थानीय प्रतिबन्ध -

अन्तर्राज्यीय (Inter-state) एवं राज्य के अन्दर (Intra-state) व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। पड़ोसी देशों के साथ की गयी संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा-पार परिवहन की अनुमति होगी। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

5. संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील (vulnerable) व्यक्तियों की सुरक्षा-

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुगणता (co-morbidity) अर्थात् एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो, घरों के अन्दर ही रहेंगे।

6. आरोग्य-सेतु मोबाईल एप्लीकेशन व आयुष कवच कोविड ऐप का प्रयोग-

(i) आरोग्य-सेतु ऐप शुरूआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरुद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है।

- (ii) कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों/कर्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए।
- (iii) जिला-प्रशासन/प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य-सेतु ऐप एवं आयुष कवच कोविड ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करें, जिससे कि उसका स्वास्थ्य सम्बन्धी स्टेटस ऐप पर अपडेट होता रहे। इससे खतरों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को समय रहते चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।

7. दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन

- (i) समस्त जिलाधिकारी उपरोक्त दिशा-निर्देशों का आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएँ।
- (ii) सोशल-डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु धारा-144 CrPC 1973 का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाए।

8. दण्डात्मक प्रावधान

उपरोक्त दिशा-निर्देशों के किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने पर आपदा-प्रबन्धन अधिनियम, 200 की धारा 51 से 60 तथा भादोवि 0 की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। दण्डात्मक प्रावधानों के उद्घरण (संलग्नक-2) में दिये गये हैं।

उपरोक्त दिशा-निर्देश दिनांक 01 फरवरी, 2021 से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे।

संलग्नक:-यथोक्त।



 (राजेन्द्र कुमार तिवारी)
 मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कृपया उपरलभेक्त निर्देशों के अनुरूप चिकित्सा विभाग की ओर से जोनिंग गाइडलाईन्स जारी करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,


 (अवनीश कुमार अवस्थी)
 अपर मुख्य सचिव।

Guidelines for Surveillance, Containment and Caution

**[As per Ministry of Home Affairs (MHA) Order No. 40-3/2020-DM-I (A)
dated 27th January, 2021]**

The number of active cases of COVID-19 have been declining steadily over the last four months. However, with a view to consolidate the substantial gains that have been achieved against the spread of COVID-19, and to fully overcome the pandemic, there is a need to maintain caution and strictly follow the prescribed containment strategy, focussed on surveillance, containment and strict observance of the guidelines.

The following guidelines are issued to be effective from 1st February 2021.

COVID appropriate behavior


1. State/ UT Governments shall take all necessary measures to promote COVID-19 appropriate behaviour and ensure wearing of face masks, hand hygiene and social distancing.
2. The National Directives for COVID-19 Management, as specified in **Annexure I**, shall be strictly followed throughout the country.

Surveillance and Containment

3. Containment Zones, if required, shall be carefully demarcated by the district authorities, at the micro level, taking into consideration the guidelines prescribed by the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) in this regard. Within the demarcated Containment Zones, containment measures, as prescribed by MoHFW, shall be scrupulously followed.
4. It shall be the responsibility of local district, police and municipal authorities to ensure that the prescribed Containment measures are strictly followed. State/ UT Governments shall ensure accountability of the officers concerned in this regard.

Strict adherence to the prescribed SOPs

5. All activities will be permitted outside Containment Zones. However, the following activities will be subject to strict adherence of SOPs, as indicated below:
 - i. Social/ religious/ sports/ entertainment/ educational/ cultural/ religious gatherings, subject to SOP of the State/ UT concerned.
 - ii. Cinema halls and theatres, subject to a revised SOP to be issued by Ministry of Information & Broadcasting in consultation with MHA.
 - iii. Swimming pools, subject to a revised SOP to be issued by Ministry of Youth Affairs & Sports (MoYA&S) in consultation with MHA.
 - iv. Exhibition halls, subject to a revised SOP to be issued by the Department of Commerce in consultation with MHA.


27/01/2021

6. For further opening up of international air travel of passengers, Ministry of Civil Aviation (MOCA) may take a decision in consultation with Ministry of Home Affairs (MHA).
7. SOPs, as updated from time to time, have been prescribed for various activities. These include: movement by passenger trains; air travel; metro trains; schools; higher educational institutions; hotels and restaurants; shopping malls, multiplexes and entertainment parks; yoga centres and gymnasiums, etc. These SOPs shall be strictly enforced by the authorities concerned, who shall be responsible for their strict observance.

Local restrictions

8. There shall be no restriction on inter-State and intra-State movement of persons and goods including those for cross land-border trade under Treaties with neighbouring countries. No separate permission/ approval/ e-permit will be required for such movements.

Protection of vulnerable persons


9. Persons above 65 years of age, persons with co-morbidities, pregnant women, and children below the age of 10 years are advised to take necessary precautions.

Use of Aarogya Setu

10. Use of Aarogya Setu may continue on best effort basis on compatible mobile phones. This will facilitate timely provision of medical attention to those individuals who are at risk.

Strict enforcement of the guidelines

11. All the District Magistrates shall strictly enforce the above measures. For the enforcement of social distancing, State/UT Governments may, as far as possible, use the provisions of Section 144 of the Criminal Procedure Code (CrPC) of 1973.
12. Any person violating these measures will be liable to be proceeded against as per the provisions of Section 51 to 60 of the Disaster Management Act, 2005, besides legal action under Section 188 of the IPC, and other legal provisions as applicable. Extracts of these penal provisions are at Annexure II.


Union Home Secretary

and, Chairman, National Executive Committee

NATIONAL DIRECTIVES FOR COVID-19 MANAGEMENT

1. **Face coverings:** Wearing of face cover is compulsory in public places; in workplaces; and during transport.
2. **Social distancing:** Individuals must maintain adequate distance in public places.
Shops will ensure physical distancing among customers.
3. **Spitting in public places** will be punishable with fine, as may be prescribed by the State/ UT local authority in accordance with its laws, rules or regulations.
Additional directives for Work Places
4. **Staggering of work/ business hours** will be followed in offices, work places, shops, markets and industrial & commercial establishments.
5. **Screening & hygiene:** Provision for thermal scanning, hand wash or sanitizer will be made at all entry points and of hand wash or sanitizer at exit points and common areas.
6. **Frequent sanitization** of entire workplace, common facilities and all points which come into human contact e.g. door handles etc., will be ensured, including between shifts.
7. **Social distancing:** All persons in charge of work places will ensure adequate distance between workers, adequate gaps between shifts, staggering the lunch breaks of staff, etc.

 12/07/2021

knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a Department of the Government and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the head of the Department, such officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

56. Failure of officer in duty or his connivance at the contravention of the provisions of this Act.—Any officer, on whom any duty has been imposed by or under this Act and who ceases or refuses to perform or withdraws himself from the duties of his office shall, unless he has obtained the express written permission of his official superior or has other lawful excuse for so doing, be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine.

57. Penalty for contravention of any order regarding requisitioning.—If any person contravenes any order made under section 65, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.

58. Offence by companies.—(1) Where an offence under this Act has been committed by a company or body corporate, every person who at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company, for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company, and it is proved that the offence was committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also, be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.—For the purpose of this section—

(a) "company" means anybody corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

Annexure II

Offences and Penalties for Violation of Lockdown Measures

A. Section 51 to 60 of the Disaster Management Act, 2005

51. Punishment for obstruction, etc.—Whoever, without reasonable cause —

- (a) obstructs any officer or employee of the Central Government or the State Government, or a person authorised by the National Authority or State Authority or District Authority in the discharge of his functions under this Act; or
- (b) refuses to comply with any direction given by or on behalf of the Central Government or the State Government or the National Executive Committee or the State Executive Committee or the District Authority under this Act,

shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine, or with both, and if such obstruction or refusal to comply with directions results in loss of lives or imminent danger thereof, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years.

52. Punishment for false claim.—Whoever knowingly makes a claim which he knows or has reason to believe to be false for obtaining any relief, assistance, repair, reconstruction or other benefits consequent to disaster from any officer of the Central Government, the State Government, the National Authority, the State Authority or the District Authority, shall, on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and also with fine.

53. Punishment for misappropriation of money or materials, etc.—Whoever, being entrusted with any money or materials, or otherwise being, in custody of, or dominion over, any money or goods, meant for providing relief in any threatening disaster situation or disaster, misappropriates or appropriates for his own use or disposes of such money or materials or any part thereof or wilfully compels any other person so to do, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and also with fine.

54. Punishment for false warning.—Whoever makes or circulates a false alarm or warning as to disaster or its severity or magnitude, leading to panic, shall on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to one year or with fine.

55. Offences by Departments of the Government.—(1) Where an offence under this Act has been committed by any Department of the Government, the head of the Department shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly unless he proves that the offence was committed without his

59. **Previous sanction for prosecution.**—No prosecution for offences punishable under sections 55 and 56 shall be instituted except with the previous sanction of the Central Government or the State Government, as the case may be, or of any officer authorised in this behalf, by general or special order, by such Government.

60. **Cognizance of offences.**—No court shall take cognizance of an offence under this Act except on a complaint made by—

- (a) the National Authority, the State Authority, the Central Government, the State Government, the District Authority or any other authority or officer authorised in this behalf by that Authority or Government, as the case may be; or
- (b) any person who has given notice of not less than thirty days in the manner prescribed, of the alleged offence and his intention to make a complaint to the National Authority, the State Authority, the Central Government, the State Government, the District Authority or any other authority or officer authorised as aforesaid.

B. Section 188 in the Indian Penal Code, 1860

188. Disobedience to order duly promulgated by public servant.—Whoever, knowing that, by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, he is directed to abstain from a certain act, or to take certain order with certain property in his possession or under his management, disobeys such direction, shall, if such disobedience causes or tends to cause obstruction, annoyance or injury, or risk of obstruction, annoyance or injury, to any person lawfully employed, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both; and if such disobedience causes or tends to cause danger to human life, health or safety, or causes or tends to cause a riot or affray, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

Explanation.—It is not necessary that the offender should intend to produce harm, or contemplate his disobedience as likely to produce harm. It is sufficient that he knows of the order which he disobeys, and that his disobedience produces, or is likely to produce, harm.

Illustration

An order is promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, directing that a religious procession shall not pass down a certain street. A knowingly disobeys the order, and thereby causes danger of riot. A has committed the offence defined in this section.
